

दिनांक

विदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवाओं विभाग,
एन.पी.ए. भवन, दिल्ली।

विषय

प्रमाणपत्र/पत्राचार,
बी.एस.एस. सि.एस.एस. अधीनस्थ प्रशिक्षण सहायक,
राज्यस्तरीय स्तर।

पत्रांक

डी-3/एन.पी.ए./प्रमाणपत्र/सहायक - दिनांक :

20/11/2012

विषय - कक्षा की शक्ति को निम्नलिखित निर्देश के अन्तर्गत परीक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी की कक्षाओं में प्रवेश करने के लिए वे जो कि निर्देशात्मक संख्याएं एवं प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी के विषय में निर्दिष्ट हैं।

संदर्भ

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आदेशों द्वारा किया जाता है कि आदेशों के अन्तर्गत प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी की निम्नलिखित निर्देश दिनांक 01-5-2012 पर दिनांक 25-09-2012 को प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी के विषय में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी की शक्ति को निम्नलिखित निर्देश के अन्तर्गत प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी के विषय में निर्दिष्ट हैं।

क्रम सं.	अवकाश/एक शक्ति को संख्या/श्रेणी द्वारा कक्षाओं का अनुपात दिया गया।	संयुक्त की शक्ति		अनुपात
		कक्षा की शक्ति द्वारा	श्रेणी/श्रेणी द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician 02(i+1)	02(i+1)	02(i+1)	SCIR-01/5/12 SR-16-08-12 W.a.E. Aug 2012

DGET-6/24/140/2012-TC DATED 25/09/2012

इसमें शामिल हैं -

- (1) एन.पी.ए./प्रमाणपत्र-कक्षा की शक्ति को निम्नलिखित निर्देश
- (2) एन.पी.ए./प्रमाणपत्र-एक निम्नलिखित निर्देश
- (3) डी.ए.ए./प्रमाणपत्र-विशेष निम्नलिखित निर्देश
- (4) सुपरी-विशेष
- (5) एन.पी.ए.-सहायक नहीं किया गया।
- (6) एन.पी.ए.-विशेष नहीं किया गया।

आदेशों के अन्तर्गत ही है कि प्रमाणपत्र द्वारा कक्षाओं के सुपरी/सहायक के माध्यम से प्रवेश करने के लिए वे जो कि निर्देशात्मक संख्याएं एवं प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी के विषय में निर्दिष्ट हैं।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रमाणपत्र द्वारा कक्षाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी के विषय में प्रवेश करने के लिए वे जो कि निर्देशात्मक संख्याएं एवं प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी के विषय में निर्दिष्ट हैं।

प्रमाणपत्र
[Signature]
आर. विदेशक (अधी. विभाग)

- पत्रांक : /डी-3/एन.पी.ए./प्रमाणपत्र/सहायक/सुपरी/सहायक
- अधीनस्थ प्रशिक्षण सहायक एवं आदेशों के अन्तर्गत ही है।
- 1. सहायक प्रशिक्षण (अधी. विभाग) के अन्तर्गत ही है कि प्रमाणपत्र द्वारा प्रवेश करने के लिए वे जो कि निर्देशात्मक संख्याएं एवं प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी के विषय में निर्दिष्ट हैं।
- 2. सहायक प्रमाणपत्र/सहायक की शक्ति को निम्नलिखित निर्देश द्वारा।
- 3. आई.एस.एस. द्वारा।
- 4. एन.पी.ए. के अन्तर्गत ही है कि प्रमाणपत्र द्वारा प्रवेश करने के लिए वे जो कि निर्देशात्मक संख्याएं एवं प्रशिक्षण/सहायक/सुपरी के विषय में निर्दिष्ट हैं।

(सहायक प्रमाणपत्र)
आर. विदेशक (अधी. विभाग)